न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 10/17 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. रूग्घा उर्फ रघुवीर पुत्र गोदा उर्फ गिरधारी जाति अहीर निवासी ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1 बनवारी पुत्र पन्ना जाति लखेरा
2 संजय उर्फ कालू पुत्र सुन्दर लाल जाति लखेरा
3 सोनू पुत्र सुन्दर लाल जाति लखेरा निवासीयान ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:---असल रेस्पो0

4 रामजीलाल पुत्र प्रभाती जाति अहीर
5 कमला पत्नी जाहरा राम जाति अहीर
6 सुभाष पुत्र मंगतू जाति अहीर
7 नरेश पुत्र मंगतू जाति अहीर
8 मंगल पुत्र गोपी जाति अहीर
निवासीयान ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, बानसूर
दिनांक 23.9.2016

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री राजेश कुमार शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 2 :– श्री राजेश गुप्ता

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 01.04.2021

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बानसूर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 152/15 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 23.9.16 के खिलाफ है, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने तहत अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 411 रकबा 24 एयर वाके ग्राम भूपसेडा तहसील बानसूर वादीगण सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है । परन्तु वे वादीगण को जबरन बेदखल करना चाहते हैं और तामीर करने पर आमदा है । अतः उन्हें पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है,जिसकी यह अपील वादीगण सायलान ने प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क दिये कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हमको समय पर ना तो वकील साहब ने दी और ना ही तरतीबी रेस्पो0 ने दी । इसलिये अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । जानकारी होते ही हमने अपील प्रस्तुत कर दी । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को माफ किया जावे और अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित भूमि से अप्रार्थीगण रेस्पो0 का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आराजी हमारी खातेदारी की आराजी है,जिस पर असल रेस्पो0 जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसलिये उनको पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 02 का कथन है कि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है । प्रतिवादी बनवारी एवं हमारे पिता सुन्दर लाल विवादित आराजी (प्लॉट) को जरिये इकरार नामा कय की है और वक्त खरीद से ही हमारा कब्जा चला आ रहा है । एक कब्जेधारी व्यक्ति को अस्थाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निषेधाज्ञा की आड में बेदखल नहीं किया जा सकता । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाता है और देरी को माफ किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि एक कब्जेधारी व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता । प्रतिवादीगण असल रेस्पो0 ने विवादित आराजी को जरिये इकरारनामा खरीद करना बताया है । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 20.9.16 में विवादित आराजी पर असल रेस्पो0 का कब्जा सालों से बताया है । यह मौका रिपोर्ट गांव वालों की उपस्थिति में बनाई है । चूंकि विवादित आराजी पर असल रेस्पो0 का कब्जा है और कब्जेधारी असल रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा की आड में उसकी कब्जेशुदा आराजी के उपयोग उपभोग करने से वंचित नहीं किया जा सकता । तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उपरोक्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.9.16 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर